



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125922

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17735 वर्ष 2026

राज कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद औन, मो. आमिर

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 7

माननीय जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. आवेदक पुलिस थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़ में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 60 वर्ष 2026, बीएनएस की धारा 74, 352, 351(3), एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी-ए) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7/8, 9एल, 90, 9पी/10 के अंतर्गत संलिप्त है।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 04.04.2026 को, जब अभियोक्त्री अपना परीक्षा परिणाम लेने के लिए अपने विद्यालय गई थी, तो आवेदक ने, जिसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बताया गया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया, और उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। यह भी आरोप है कि अभियोक्त्री किसी तरह मौके से भागने में सफल रही और उसने तुरंत अपने पिता को घटना की जानकारी दी। उक्त आरोपों को सुनकर, सूचनाकर्ता विद्यालय गया, जहां उसके और आवेदक के बीच कहासुनी भी हुई, जिस दौरान आवेदक की ओर से गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है और आरोप बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए हैं तथा स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एक जिम्मेदार नागरिक है, जो विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है, समाज में उसकी जड़ें हैं, और उसके फरार होने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
5. विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें एक नाबालिग छात्र शामिल है और अधिकार वाले पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा कदाचार किया गया है, इसलिए आवेदक जमानत की रियायत का हकदार नहीं है।
6. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया है। इस स्तर पर, जमानत प्रार्थना पत्र तय करने के उद्देश्य से न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया राय बनानी होती है और साक्ष्य की विस्तृत जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
7. लगाए गए आरोप निःसंदेह गंभीर प्रकृति के हैं। हालाँकि, आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत यह है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आवेदक के बारे में बताया गया है कि वह गिरफ्तारी की तारीख से हिरासत में है, विवेचना काफी हद तक पूरी हो चुकी प्रतीत होती है, और यह इंगित करने के लिए कोई विशिष्ट सामग्री नहीं है कि इस स्तर पर हिरासत में और पूछताछ की आवश्यकता है।
8. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता, हिरासत में बिताई गई अवधि, आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि विचारण के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और न्याय के हित को सुरक्षित रखने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के लिए कड़ी शर्तों के अधीन, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदक राज कुमार को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमित जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है:-

1. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभियोक्त्री या किसी गवाह से संपर्क नहीं करेगा, उसे प्रभावित नहीं करेगा या धमकी नहीं देगा।

2. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या अन्वेषण अथवा विचारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

3. न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक, आवेदक सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होगा।

4. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष को जमानत रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता होगी।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

जून 5, 2026

नीतू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"